[2008] 1 एस.सी.आर. 150

रमेश कृष्णा मधुसूदन नायर

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

(सीएलआर. ए. 12, 2008)

7 जनवरी 2008

[डा अरिजीत पसायत और आफताब आलम**, जे.जे.]**

दंड संहिता, 1860:धारा 300, अपवाद 4, 304 (भाग I) और 302 - हत्या या अपराधिक मानव वध हत्या नहीं है - मामूली बात पर पक्षों के बीच झगड़ा - मृतक के सिर पर लकड़ी के लट्ठे से घातक वार - चश्मदीद गवाह की एकमात्र गवाही के आधार पर नीचे की अदालतों द्वारा धारा 302 के तहत दोषसिद्धि - अपील यथावत: दोषसिद्धि एकल गवाह की गवाही पर आधारित हो सकती है यदि वह पूरी तरह से विश्वसनीय है - मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, दोषसिद्धि को धारा 304 (भाग I) में बदल दिया गया है - सज़ा को 10 वर्ष में बदला गया- साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 134

धारा 300, अपवाद 4 - की प्रयोज्यता - समझाया गया।

धारा 300, अपवाद 1 और 4-के बीच अंतर-व्याख्या की।

साक्ष्य अधिनियम, 1872: धारा 134- गवाहों की संख्या - मामले को स्थापित करने के लिए किसी विशेष संख्या में गवाहों की आवश्यकता नहीं है - दोषसिद्धि एकमात्र चश्मदीद गवाह के साक्ष्य पर आधारित हो सकती है यदि वह पूरी तरह से विश्वसनीय है - पुष्टि की आवश्यकता तब होती है जब वह केवल आंशिक रूप से विश्वसनीय हो।

शब्द और वाक्यांश: 'लड़ाई', 'अचानक लड़ाई' और 'अनुचित लाभ-का अर्थ-आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के संदर्भ में।

आधी रात के समय एक मामूली बात पर अपीलकर्ता और मृतक के बीच विवाद हुआ। सुबह शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता और मृतक को झगड़ते हुए देखा और अपीलकर्ता ने मृतक के सिर पर लकड़ी के लट्ठे से दो वार किए। मृतक बेहोश हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। एफ़आईआर दर्ज करवायी गई। विचारण न्यायालय ने शिकायतकर्ता-पीडब्लू **5** के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा **302** के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा दी। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई।

अपीलकर्ता-अभियुक्त ने तर्क दिया कि दोषसिद्धि केवल एक कथित चश्मदीद गवाह पीडब्लू-**5** की गवाही पर दर्ज नहीं की जा सकती; वह तथ्यों

पर, धारा **302** आईपीसी लागू नहीं थी; और यह कि अचानक झगड़े के दौरान यह घटना घटी, इसलिए धारा **300** भारतीय दंड संहिता का अपवाद **4** लागू होगा।

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रतिपादित किया :

1.1 साक्ष्य अधिनियम, **1872** की धारा **134** में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मामले को स्थापित करने के लिए किसी विशेष संख्या में गवाहों की आवश्यकता नहीं है। दोषसिद्धि एक गवाह की गवाही पर आधारित हो सकती है यदि वह पूरी तरह विश्वसनीय है। पुष्टि तब आवश्यक हो सकती है जब वह केवल आंशिक रूप से विश्वसनीय हो। यदि साक्ष्य बेदाग और सभी संभावित आलोचनाओं से परे है और अदालत संतुष्ट है कि गवाह सच बोल रहा था तो केवल उसके साक्ष्य के आधार पर ही दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सकता है। **[**पैरा **7] [154-**बी-सी**]**

1.2 आईपीसी की धारा **300** में अपवाद **4** को लागू करने के लिए, यह स्थापित करना होगा कि कार्य बिना किसी पूर्वचिन्तन के, अचानक झगड़े में, अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना जोश में आकर किया गया था और क्रूर और अप्रायिक तरीक़े से नहीं किया गया **[**पैरा **8] [154-**डी**]**

श्रीधर भुइयां बनाम उड़ीसा राज्य जेटी 2004 (6) एससी 299; प्रकाश चंद बनाम एच.पी. राज्य जेटी 2004 (6) एससी 302; सच्चे लाल तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जेटी 2004 (8) एससी 534; संध्या जाधव बनाम महाराष्ट्र राज्य 2006 (4) एससीसी 653; लछमन सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2006 (10) एससीसी 524 - देखा गया।

1.3 तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि उचित दोषसिद्धि भारतीय दंड संहिता की धारा **304** भाग **1** के तहत रहेगी धारा **302** भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नहीं। **10** साल की सजा न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगी। **[पैरा 11] [156-ए-बी]**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार:आपराधिक अपील संख्या 12/2008

बॉम्बे हाईकोर्ट, खंडपीठ औरंगाबाद के आदेश निर्णय दिनांक 8.9.2004 से जो कि सीएलआर. ए. क्रमांक 10/2001 में पारित किया गया।

अपीलकर्ता की ओर से बिमल रॉय जद और सुनीता पंडित।

प्रतिवादी की ओर से आर.के.अदसूरे।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में चुनौती बॉम्बे हाई कोर्ट, औरंगाबाद बेंच के फैसले को दी गई है, जिसमें अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया गया था, जिसे भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 302 के तहत दंडनीय तथाकथित अपराध कारित करने के लिए विचारण का सामना करना पड़ा था और विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

3. पृष्ठभूमि तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

शिकायतकर्ता सजय विट्ठल ,घटना से 2-1/2 महीने पहले संजोग होटल में वेटर के तौर पर कार्यरत था। उक्त होटल के मालिक प्रदीप पंजाबी हैं। होटल में व्यवसाय शाम 5 बजे 11 बजे तक संचालित होता है। होटल बंद होने के बाद शिकायतकर्ता संजय होटल के 5 कर्मचारियों के साथ एक स्टाफ रूम में रहता था। 3.11.1999 को रात 11.30 बजे होटल बंद कर दिया गया। लगभग रात के 1 बजे, प्रदीप पंजाबी और अन्य स्टाफ सदस्य बाहर चले गए। इसके बाद 4.11.1999 को लगभग 1.30 बजे रात में, लाइट बंद करने के मुद्दे पर रमेश नायर और अन्ना देवराज (इसके बाद 'मृतक' के रूप में संदर्भित) के बीच विवाद हुआ। दोनों स्टाफ रूम में रहते थे। उस समय शिकायतकर्ता कुंडलिक चौहान और छोटू ने हस्तक्षेप किया। इसके बाद शिकायतकर्ता और अन्ना देवराज स्टाफ रूम में सो गए। सुबह करीब साढ़े आठ बजे शिकायतकर्ता ने झगड़े की तेज आवाज सुनी और उठ

गया। उसने आरोपी और मृतक को झगड़ते हुए देखा और आरोपी ने अन्ना देवराज के सिर पर लकड़ी के लट्ठे से दो वार किए। रमेश नायर ने शिकायतकर्ता को धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो वह उसे सबक सिखा देगा। इसलिए शिकायतकर्ता कमरे से बाहर चला गया। सुबह उसने होटल में माली का काम करने वाले लोगों को घटना का खुलासा किया। उस वक्त अन्ना देवराज कुछ नहीं बोल रहे था, वह बेहोश पड़ा कराह रहा था। इसके बाद होटल के मालिक को फोन पर सूचना दी गई। वह आए और मृतक को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके दाहिने कान से खून बह रहा था। इसके बाद, शिकायतकर्ता और होटल मालिक तोफखाना पुलिस स्टेशन गए और प्रदर्श.26 के अनुसार पुलिस को मामले की सूचना दी। ए.एस.आई. पुरी ने आईपीसी की धारा 307, 506 के तहत अपराध संख्या 227/99 के रूप में अपराध दर्ज किया और जांच पीडब्लू.7 पी.एस.आई. ज्योति माधव करंदीकर को सौंप दी। जांच पूरी होने के बाद, आरोप पत्र पेश किया गया और आरोपी-अपीलकर्ता को मुकदमे के विचारण के का सामना करना पड़ा क्योंकि उसने घटना से इनकार किया और झूठे आरोप लगाने का कथन किया। ट्रायल कोर्ट ने संजय दिवाते (पीडब्लू-5) के साक्ष्य पर भरोसा जताया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुछ अन्य व्यक्तियों यानी धीरेंद्र सूर्यवंशी (पीडब्लू-2), अशोक पालवे (पीडब्लू-3) और दत्ता पिंगले (पीडब्लू-6) को चश्मदीद गवाह होने का दावा किया गया था, लेकिन वो अनुसंधान

के दौरान दिए गए बयानों से बदल गए। ट्रायल कोर्ट ने पीडब्लू-5 के साक्ष्य को विश्वसनीय और ठोस पाया और उसकी दोषसिद्धि दर्ज की और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

4. दोषसिद्धि और सजा को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, जिसने जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपील को खारिज कर दिया।

5. अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता के वकील ने कथन किया कि दोषसिद्धि केवल एक कथित चश्मदीद गवाह पीडब्लू-5 की गवाही पर दर्ज नहीं की जा सकती थी। वैकल्पिक रूप से, यह निवेदन किया गया है कि उजागर किए गए तथ्यात्मक परिदृश्य को देखते हुए धारा 302 आईपीसी का मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है। उनके अनुसार अचानक हुए झगड़े के दौरान यह घटना घटी। दूसरे शब्दों में, उनके अनुसार आईपीसी की धारा 300 का अपवाद 4 लागू होता है।

6. दूसरी ओर, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने दोषसिद्धि और सजा के फैसले का समर्थन किया।

7. इस प्रश्न पर आते हुए कि क्या एकल साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सकता है, साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में "साक्ष्य अधिनियम") की धारा 134 का संदर्भ ही पर्याप्त होगा। प्रावधान स्पष्ट रूप से कहता है कि मामले को स्थापित करने के लिए किसी विशेष

संख्या में गवाहों की आवश्यकता नहीं है। यदि वह पूरी तरह से विश्वसनीय है तो दोषसिद्धि एक गवाह की गवाही पर आधारित हो सकती है। पुष्टि तब आवश्यक हो सकती है जब वह केवल आंशिक रूप से विश्वसनीय हो। यदि साक्ष्य बेदाग और सभी संभावित आलोचनाओं से परे है और अदालत संतुष्ट है कि गवाह सच बोल रहा था तो केवल उसके साक्ष्य के आधार पर ही दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सकता है।

8. आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 को लागू करने के लिए, यह स्थापित करना होगा कि यह कृत्य बिना किसी पूर्वचिन्तन के, आवेश की तीव्रता में अचानक हुई लड़ाई में, अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया था।

9. आईपीसी की धारा 300 का चौथा अपवाद अचानक लड़ाई में किए गए कार्यों को शामिल करता है। उक्त अपवाद अभियोजन के मामले से संबंधित है जो पहले अपवाद के दायरे में नहीं आता, जिसके बाद इसका स्थान अधिक उपयुक्त होता। अपवाद एक ही सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि दोनों में पूर्वचिन्तन का अभाव है। लेकिन, जबकि अपवाद 1 के मामले में आत्म-नियंत्रण का पूर्ण अभाव है, अपवाद 4 के मामले में, केवल आवेश की तीव्रता है जो पुरुषों के शांत कारणों को ढक देती है और उन्हें ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित करती है जो वे अन्यथा नहीं करते। अपवाद 1 की तरह अपवाद 4 में भी उत्तेजना है; लेकिन जो चोट पहुंचाई गई है वह उस

उकसावे का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। वास्तव में अपवाद 4 उन मामलों से संबंधित है जिनमें इस बात के बावजूद कि कोई प्रहार किया गया हो, या विवाद के मूल में कोई उकसावा दिया गया हो या किसी भी तरह से झगड़ा उत्पन्न हुआ हो, फिर भी दोनों पक्षों के बाद के आचरण उन्हें समान स्तर के अपराध बोध पर रखते है। 'अचानक लड़ाई' का तात्पर्य है कि प्रत्येक पक्ष द्वारा आपसी उकसावा और मारपीट। तब की गई मानव वध स्पष्ट रूप से एकतरफा उकसावे के कारण नहीं होता है, न ही ऐसे मामलों में पूरा दोष एक तरफ रखा जा सकता है। यदि ऐसा होता, तो अधिक उपयुक्त रूप से लागू होने वाला अपवाद, अपवाद 1 होता। लड़ने के लिए कोई पूर्व विचार-विमर्श या दृढ़ संकल्प नहीं है। अचानक झगड़ा हो जाता है, जिसके लिए कमोबेश दोनों पक्ष दोषी होते हैं। हो सकता है कि उनमें से एक ने इसे शुरू किया हो, लेकिन अगर दूसरे ने इसे अपने आचरण से नहीं बढ़ाया होता तो इसने इतना गंभीर रूप नहीं लिया होता। इसके बाद आपसी उकसावे और उत्तेजना होती है, और प्रत्येक लड़ाकू पर जो दोष लगता है, उसे बांटना मुश्किल होता है। अपवाद 4 की मदद तब ली जा सकती है जब मृत्यु (ए) बिना किसी पूर्वचिन्तन के, (बी) अचानक लड़ाई में हुई हो; (सी) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना, और (डी) लड़ाई मारे गए व्यक्ति के साथ होनी चाहिए। किसी मामले को अपवाद 4 के अंतर्गत लाने के लिए उसमें उल्लिखित सभी सामग्रियां होनी चाहिए। गौरतलब है कि आईपीसी की धारा 300 के

अपवाद 4 में होने वाली 'लड़ाई' को आईपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। लड़ाई करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। आवेश की तीव्रता के लिए जरूरी है कि आवेश को ठंडा होने का समय न मिले और इस मामले में, पक्षकारों ने शुरुआत में मौखिक विवाद के कारण खुद को क्रोधित कर लिया हो। लड़ाई दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की लड़ाई हो चाहे वे हथियारों के साथ हों या उनके बिना। अचानक होने वाला झगड़ा किसे माना जाएगा, इसके बारे में कोई सामान्य नियम बताना संभव नहीं है। यह तथ्य का प्रश्न है और झगड़ा अचानक है या नहीं, यह आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर होता है। अपवाद 4 को लागू करने के लिए, यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्वचिन्तन नहीं था। यह भी दिखाया जाना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर या अप्रायिक तरीके से कार्य नहीं किया है। प्रावधान में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'अनुचित लाभ' का अर्थ 'अनुचित लाभ' है।

10. उपरोक्त पहलुओं को श्रीधर भुइयां बनाम उड़ीसा राज्य (जेटी 2004 (6) एससी 299), प्रकाश चंद बनाम एच.पी. राज्य (जेटी 2004 (6) एससी 302), सच्चे लाल तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (जेटी 2004 (8) एससी 534)। संध्या जाधव बनाम महाराष्ट्र राज्य [2006(4) एससीसी 653] और लछमन सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2006 (10) एससीसी 524] में उजागर किया गया है।

11. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि उचित सजा आईपीसी की धारा 304 भाग । के तहत होगी, न कि धारा 302 आईपीसी के तहत। 10 साल की सजा न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगी।

12. उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

एन.जे.

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी आशीष बैंदाड़ा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।